मुमकिन रास्ता दर्ज करवाने के आदेश दिए। उक्त आदेश से व्यथित होकर यह अपील न्यायालय हाजा के समक्ष के पेश की गई है।

3. अपील मीमों के संक्षिप्त तथ्य इस प्रकार है कि खसरा नम्बर 1132 की खातेदार लीला शर्मा पत्नी योगेन्द्र प्रसाद है व खसरा नम्बर 1129 की खातेदार योगेन्द्र प्रसाद पुत्र नन्दकिशोर है, तथा 1130 के खातेदार नन्दकिशोर पुत्र रामसहाय है। योगेन्द्र प्रसाद व नन्दकिशोर रेस्पौडेन्टस् लीला शर्मा के पति व ससुर है। खसरा नम्बर 1132,1129,1130 का मौके पर एक ही खेत बना हुआ है। जिसे रेस्पोडेन्ट का पति योगेन्द्र ही काश्त करता है। खसरा नम्बर 1133 में होकर रास्ता लेने का प्रार्थना पत्र प्रार्थी दामोदर वगैरह द्वारा मातहत अदालत में प्रस्तुत किया हुआ है जिसमें उसके द्वारा खसरा नम्बर 1130 में होकर 1116 व 1117 में जाने का रास्ता मांगा है। चूंकि रास्ता खसरा नम्बर 1130 में होकर दिया जाना है, रेस्पोडेन्टस् द्वारा खसरा नम्बर 1130 में पहुंचने के बाद 1129 व 1132 में आसानी से पहुंचा जा सकता है क्योंकि मौके पर यह एक ही खेत बना हुआ है। इस महत्वपूर्ण तथ्य पर गौर किये बिना ही मातहत अदालत उपखण्ड अधिकारी चौथ का बरवाडा द्वारा निर्णय पारित किया गया है। आगे कथन किया कि दामोदर बनाम पारसचन्द वगै0 में अपीलार्थी के खेत खसरा नम्बर 1133 के दक्षिणी मेर पर होकर मांगे गये रास्ते को देने में अपीलार्थी का कोई ऐतराज नही है। इस तथ्य पर गौर फरमाये बिना मातहत अदालत खसरा नम्बर 1133 की उत्तरी मेर पर होकर रास्ता देकर अहम् भूल की है। अतः मातहत अदालत उपखण्ड अधिकारी चौथ का बरवाडा का निर्णय दिनांक 25.03.22 अपास्त फरमाया जावे तथा अपील अपीलांट स्वीकार फरमाई जावे। अपील मीमों के साथ धारा 5 मियाद अधिनियम का प्रार्थना पत्र भी पेश किया गया।

4. अपील प्रस्तुत होने पर दर्ज रजिस्टर की गई। रेस्पो0 को जरिये सम्मन तलब किया गया। तहत अदालत की पत्रावली तलब करते हुए उभयपक्षकारान के अधिवक्ताओं की बहस सुनी गयी।

5. सर्वप्रथम अधिवक्ता अपीलांट द्वारा प्रार्थना पत्र धारा 05 लिमिटेशन एक्ट पर संक्षिप्त बहस करते हुये प्रार्थना पत्र में अंकित तथ्यों को दोहराते हुये प्रार्थना पत्र स्वीकार किये जाने की इस्तदुआ की गई।

6. अधिवक्ता रेस्पोडेण्ट का प्रार्थना पत्र धारा 05 मियाद अधिनियम के जवाब में कथन है कि अपील को देरी से पेश करने [illegible] है। अपील पेश करने में हुई देरी का उचित कारण भी अंकित नहीं किया [illegible] है। [illegible] का प्रार्थना पत्र धारा 05 मियाद अधिनियम खारिज [illegible]

राजस्व अपील अधिकारी
सवाई माधोपुर

Signature Not Verified
Digitally signed by Hari Ram Meena
Date: 2023.03.01 11:44:49 IST
Reason: SelfAttested

7. सर्वप्रथम प्रार्थना पत्र धारा 05 मियाद अधिनियम पर निर्णय किया जाना आवश्यक है। प्रार्थना पत्र धारा 05 मियाद अधिनियम को अपीलाण्ट द्वारा सशपथ सत्यापित किया है जबकि जवाब में कोई शपथ पत्र पेश नहीं किया गया है। इस कारण अपीलाण्ट के प्रार्थना पत्र धारा 05 मियाद अधि. के साथ संलग्न शपथ पत्र पर अविश्वास करने का कोई कारण नहीं है। विभिन्न माननीय न्यायालयों द्वारा भी मियाद बिन्दु के बारे में नरम रूख अपनाने के निर्देश देते हुए यह सिद्धान्त प्रतिपादित किया गया है कि वाद को गुणावगुण के आधार पर, न कि तकनीकी आधार पर निपटाया जाना चाहिए। फलस्वरूप प्रार्थी का प्रार्थना पत्र अंतर्गत धारा 05 लिमिटेशन एक्ट स्वीकार किया जाता है।

8. मुख्य बहस में अधिवक्ता अपीलांट ने अपील मीमों के तथ्यों को दोहराते हुए कथन किया कि मातहत अदालत द्वारा नियम दिनांक 28.01.22 को आगामी पेशी दिनांक 25.03.22 दी गयी थी। इसके बाद मातहत अदालत द्वारा पत्रावली को दिनांक 25.02.22 मे लेकर अपीलार्थी के अधिवक्ता की अनुपस्थिति दर्ज करते हुये तथा तहसीलदार रिपोर्ट शामिल पत्रावली करते हुये आगामी पेशी दिनांक 25.03.22 दे दी। जब प्रार्थी के अधिवक्ता न्यायालय में उपस्थित हुए तो मातहत अदालत द्वारा पेशी रजिस्टर में दिनांक 25.03.22 की समस्त पत्रावलियों में आगामी पेशी दिनांक 17.05.22 दे दी थी, जिसे अपीलार्थी व अपीलार्थी के अधिवक्ता द्वारा नोट कर लिया गया। मातहत अदालत द्वारा नियम विरूद्व जाकर पेशी रजिस्टर में काट छांट करके दिनांक 25.03.22 मे ऑर्डरशीट लिखकर दिनांक को ही अपीलार्थी व अपीलार्थी के अधिवक्ता को सुने बिना पीछे से यह विवादित निर्णय पारित कर दिया गया, जो निरस्त किये जाने योग्य है। अतः अपील अपीलांट स्वीकार फरमाई जावे।

9. जवाब बहस में अधिवक्ता रेस्पोडेन्ट ने कथन किया कि मातहत अदालत द्वारा पारित निर्णय उभयपक्षकारों को उचित सुनवाई का अवसर देते हुए ही पारित किया गया हैं। जो कि पूरी तरह से विधिपूर्वक है। अपील पेश करने का उद्देश्य मात्र रेस्पोडेन्ट को नाजायज परेशान करना है। अतः अपील अपीलांट खारिज फरमाई जावे।

10. उभयपक्ष अधिवक्ताओं की बहस पर मनन किया गया । पत्रावली में प्रस्तुत दस्तावेजों का अवलोकन किया गया ।

11. पत्रावली में उपलब्ध दस्तावेजों के अवलोकन से जाहिर आया कि अदालत मातहत दिनांक 16.07.20 को अप्रार्थीगण की तलवी हेतु नोटिस जारी करने के आदेश की पालना में अपीलांट को तलवी नोटिस जारी ही नही किए गए, क्योंकि मातहत अदालत की पत्रावली में तामील या अदम तामील नोटिस संलग्न नहीं है। अदालत मातहत की आदेशिका दिनांक 06.07.21 से 25.02.22 तक [illegible] पेशी की आदेशिका पर न तो पीठासीन अधिकारी और न ही [illegible] के हस्ताक्षर है। अदालत मातहत पेशी रजिस्टर दिनांक 25.03.22 में [illegible] तारीख पेशी 17.05.22 का अंकन

Signature Not Verified
Digitally signed by Hari Ram Meena
Date: 2023.03.01 11:44:49 IST
Reason: SelfAttested

सहायक [illegible] अधिकारी
सवाई माधोपुर

है, परन्तु उसमें कांट छांट की गई है। यह अपीलांट के अपील मीमों के जिम्मन नम्बर 08 की ताईद करती है। अदालत मातहत द्वारा अपीला/अप्रार्थीगण को जवाब दावा का अवसर ही नही दिया गया। अदालत मातहत आदेश जारी करने से पूर्व राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 धारा 251(क) को नियम 68–69 की बिना पालना के सुनिश्चित किए ही निर्णय पारित किया है। ऐसा निर्णय विधि की श्रेणी मे शून्य है, अपास्त किए जाने योग्य है।

12. उपर्युक्त विवेचना के आधार पर अदालत मातहत उपखण्ड अधिकारी चौथ का बरवाड़ा के आलौच्य आदेश दिनांक 25.03.2022 मुकदमा नम्बर 14/20 बउनवान लीला शर्मा बनाम पारसचन्द अपास्त योग्य होने से अपास्त किया जाता है। अदालत मातहत को इन निर्देशों के साथ पुनः प्रतिप्रेषित किया जाता है कि अपीलांट/अप्रार्थी को विधिवत सुनवाई का मौका देते हुए, राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 की धारा 251(क) के नियम 68–69 की पूर्ण पालना करते हुए पुनः नए सिरे से निर्णय पारित करे। तदानुसार पर्चा डिक्री जारी हो।

13. उभयपक्षकारान अदालत मातहत उपखण्ड अधिकारी में दिनांक 17.02.2023 को सुनवाई हेतु उपस्थित हो।

14. पत्रावली फैसल शुमार होकर दाखिले दफ्तर हो, नम्बर से कम हो। निर्णय आज दिनांक 16.01.2023 को सरे इजलास सुनाया गया।

(हरि राम मीना)
16.01.23
राजस्व अपील प्राधिकारी,
सवाई माधोपुर

Signature Not Verified

Digitally signed by Hari Ram Meena
Date: 2023.03.01 11:44:49 IST
Reason: SelfAttested

Signature Not Verified
Digitally signed by Hari Ram Meena
Date: 2023.03.01 11:44:49 IST
Reason: SelfAttested

न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी , सवाई माधोपुर (राज0)

पीठासीन अधिकारी :–हरि राम मीना ,आर.ए.एस.

अपील संख्या:–18 / 42
जी.सी.एम.एस .संख्या:–2022 / 42

(223 आर.टी.एक्ट)

उनवान

1. पारसचन्द पुत्र लक्ष्मीनारायण जाति पूर्विया निवासी ग्राम भगवतगढ़, तहसील चौथ का बरवाड़ा जिला सवाई माधोपुर।

...अपीलांट।

बनाम

1. लीला शर्मा पत्नी योगेन्द्र प्रसाद जाति ब्राहम्ण निवासी ग्राम भगवतगढ़ तहसील व जिला सवाई माधोपुर।

...रेस्पोडेन्ट।

उपस्थित:–

1. श्री श्रीदास सिंह अधिवक्ता अपीलांट।
2. श्री श्याम सुन्दर गुप्ता अधिवक्ता रेस्पोडेन्ट।

–::निर्णय::–

दिनांक 16.01.23

1. यह अपील मातहत अदालत उपखण्ड अधिकारी उपखण्ड चौथ का बरवाड़ा जिला सवाई माधोपुर में दायर वाद पत्र संख्या 14 / 20 बउनवान लीला शर्मा बनाम पारसचन्द में पारित निर्णय दिनांक 25.03.2022 के विरुद्ध अंतर्गत धारा 223 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 न्यायालय हाजा में मियाद बाहर प्रस्तुत की गई है।
2. प्रकरण में संक्षिप्त तथ्य इस प्रकार है कि वादी लीला ने एक प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 251(ए) राजस्थान काश्तकार अधिनियम, मातहत अदालत उपखण्ड अधिकारी चौथ का बरवाड़ा के समक्ष इस आशय का पेश किया कि वादी के खातेदारी की भूमि खसरा नम्बर 1132 में कृषि कार्यों हेतु कोई रास्ता उपलब्ध नहीं होने से खसरा नम्बर 1133 में से होकर 12 फुट चौड़े रास्ते की आवश्यकता है। मातहत अदालत ने वादी का प्रार्थना स्वीकार करते हुए खसरा नम्बर 1133 में उत्तरी मेड़ के सहारे 3.65 मीटर चौड़ा तथा 48 मीटर लम्बाई का कुल 175 वर्गमीटर भूमि को नियमानुसार राजस्व रिकार्ड में गैर

राजस्व अपील अधिकारी